न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2022/11 **दायर दिनांक 29.03.2022**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) —सायल—

बनाम

मोहरसिंह पुत्र हरफुल जाति कुम्हार उम्र 40 साल निवासी ढ़िगारला पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू। —गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :—

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

निर्णय **दिनांक : 11.05.2022**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल मोहरसिंह पुत्र हरफुल जाति कुम्हार उम्र 40 साल निवासी ढ़िगारला पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू का रहने वाला है, जो अवैध शराब बेचने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :—

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	चालान दिनांक	जे.एफ. नम्बर	फैसला अदालत
1.	106/06.07.2014	19/54 राज. आबकारी अधिनियम	14.11.2014	517/2014	सजा 27.08.2017
2.	01/01.01.2015	19/54 राज. आबकारी अधिनियम	23.06.2015	385/2016	सजा 18.12.2017
3.	150/20.08.2016	19/54 राज. आबकारी अधिनियम	08.11.2016	621/2016	सजा 18.02.2017
4.	44/15.04.2020	19/54 राज. आबकारी अधिनियम	25.08.2020	458/2020	सजा 25.08.2020
5.	129/17.08.2017	19/54 राज. आबकारी अधिनियम	15.11.2017	793/2017	पैण्डिंग न्यायालय
6.	09/24.01.2021	19/54 राज. आबकारी अधिनियम	22.03.2021	390/2021	पैण्डिंग न्यायालय

अतः इस्तगासा विरुद्ध मोहरसिंह पुत्र हरफुल जाति कुम्हार उम्र 40 साल निवासी ढ़िगारला पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल स्वंय हाजीर होकर जुर्म के संबंध में माफी दर्ज कर माफ करने हेतु प्रार्थना—पत्र दिनांक 06.05.2022 प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

2022/11

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू बनाम मोहरसिंह

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 06 बार, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैरसायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावे ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 06 बार, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दिनांक 06.07.2014, 01.01.2015, 20.08.2016, 15.04.2020, 17.08.2017 व 24.01.2021 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल मोहरसिंह पुत्र हरफुल जाति कुम्हार उम्र 40 साल निवासी ढ़िगारला पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल मोहरसिंह पुत्र हरफुल जाति कुम्हार उम्र 40 साल निवासी ढ़िगारला पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख गैरसायल मोहरसिंह को थानाधिकारी राजगढ़ थाना को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी थाना राज़गढ में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख व थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू